न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 90 / 2024 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2024/137)
पंजीयन दिनांक– 18.03.2024
निर्णय दिनांक– 28.07.2025

1. श्री गुलाबसिंह पिता देवीसिंह राजपूत, निवासी मोतीपुरा, तहसील बेगूं, जिला जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट

उपस्थितिः– (वक्त बहस)

1. श्री भगवतीलाल जैन — अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक — अधिवक्ता रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 23 / 2005 दिनांक 30.06.2007

निर्णय

दिनांक 28.07.2025

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 23 / 2005 निर्णय दिनांक 30.06.2007 के विरूद्ध दिनांक 12.03.2024 को प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में बकौल अपीलांट तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट तहसीलदार, बेगूं द्वारा अपीलांट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना राजकीय भूमि आवंटन) नियम 1968 के नियम 17 (क) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, बेगूं के मुकदमा नम्बर 1935/1998 दिनांक 01.06.1998 से ग्राम मोतीपुरा, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 488/318 रकबा 2 बीघा लगानी 06.00 भूमि का अपीलांट को किये गये आवंटन में अपीलांट द्वारा भू–आवंटन नियमों में दी गई शर्तो की पालना नहीं करने यानि प्रिमियम राशि जमा नहीं कराई गई है। अतः उक्त आवंटन निरस्त किया जावें, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज कर प्रकरण संख्या 23/2005 निर्णय दिनांक 30.06.2007 से रेस्पोडेंट तहसीलदार, बेगूं का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 30.06.2007 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– *"उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार यह सही है कि वादग्रस्त जमीन पर पानी नहीं पहुंचता है, परंतु उक्त आवंटियों को राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना राजकीय भूमि आवंटन) नियम 1968 के तहत दिनांक 01.09.1998 को कीमतन जमीन आवंटित की गई थी जिसकी राशि जमा करवाने का दायित्व आवंटीगण का था। आवंटीगण की ओर से पानी नहीं पहुंचने का कथन तहसीलदार की ओर से आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14.03.2005 के बाद बताई गई है, यदि आवंटीगणों की जमीन पर पानी नहीं पहुंचता था तो उन्हें इस बाबत 01.09.1998 को जमीन आवंटन होने के बाद तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए थी, आवंटीगण के पास एक अन्य विकल्प और था कि वे आवंटित जमीन का कब्जा नहीं लेते।*

सारांशतः अभिलेख से यह जमीन कमाण्ड के तहत आवंटित की गई तथा आवंटीगण द्वारा प्रिमियम की राशि जमा नहीं कराने का तथ्य स्पष्टतः प्रमाणित है, उपरोक्त तथ्यों के अलावा यह जमीन चूंकि सक्षम अधिकारी जिला कलक्टर द्वारा चरनोट प्रयोजनार्थ आरक्षित कर दिये जाने से इस आवंटन को निरंतर रखने की कोई औचित्यता नहीं है। अतः पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करके इन प्रकरणों के कार्यवाही विवरण में अंकित चारों विपक्षीयों को आवंटित जमीन का आवंटन निरस्त किया जाता है।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भगवतीलाल जैन उपस्थित व रेस्पोडेंट की ओर श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 23.07.2025 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अपीलांट को राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना राजकीय भूमि आवंटन) नियम 1968 के तहत भूमि का आवंटन किया गया था, किन्तु विवादित भूमि पर पानी नहीं पहुंचने से उक्त भूमि को कमाण्ड से डि–कमाण्ड करवाने हेतु तहसील कार्यालय के मार्फत कार्यवाही चली थी, जिसको आगे नहीं चला कर तहसीलदार द्वारा उक्त भू–आवंटन निरस्त करवाने की कार्यवाही की गई है, जो उचित नही थी। विवादित भूमि पर पानी नहीं पहुंचने से उक्त नियमों के तहत भूमि का अवंटन उचित नहीं था, इसलिए अपीलांट द्वारा प्रिमियम की राशि भी जमा नहीं करवाई गई थी। आवंटन के इतने वर्षो के बाद तहसीलदार द्वारा जो कार्यवाही की गई थी, वह उचित नही थी। अपीलांट द्वारा

विवादित भूमि पर काफी पैसा खर्च कर दिया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उक्त भूमि आवंटन बहाल रखाना फरमावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट राजकीय अभिभाष श्री मुरलीधर पालीवाल ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना राजकीय भूमि आवंटन) नियम 1968 के तहत कीमतन भूमि का आवंटन किया गया था। अपीलांट द्वारा उक्त प्रिमियत की राशि जमा नहीं करवा कर आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की है। राजकीय अभिभाषक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उक्त आवंटी की भूमि को जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा आदेश क्रमांक/राजस्व/साप्रआ/12–6 (5) 104/661 दिनांक 21.04.2004 से सार्वजनिक चारागाह घोषित की जा चुकी है तथा अपीलांट द्वारा उक्त अपील लगभग 17 वर्षो के विलम्ब से पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 30.06.2007 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 30.06.2007 को किया गया है जिसकी अपील अपीलांट द्वारा दिनांक 12.03.2024 को अर्थात् 17 वर्ष से अधिक विलम्ब के बाद पेश की गयी है। अपीलांट ने इसके लिए दफा 5 मयाद अधिनियम के आवेदन में यह वर्णित किया है कि अधीवक्ता द्वारा अपीलांट को उक्त निर्णय की किसी प्रकार से पत्राचार के माध्यम से या अन्य किसी प्रकार से कोई जानकारी नहीं दी गई। अपीलांट को दिनांक 07.02.2024 को चित्तौड़गढ़ आकर अपने अधिवक्ता से संपर्क किया तो पता चला कि उक्त मामले में वर्ष 2007 में ही निर्णय पारित किया जा चुका है, जिससे अविलम्ब दिनांक 07.02.2024 को ही निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हेतु आवेदन पेश किया गया जिस पर नकल दिनांक 09.02.2024 को प्राप्त हुई। अपीलांट द्वारा 17 वर्ष के विलम्ब

के लिए जो आधार दिये गये हैं, वे न तो उचित है न ही पर्याप्त है। किसी भी पक्षकार को अपने प्रकरण के सन्दर्भ में 17 वर्षों तक अपने स्तर पर न्यायालय से जानकारी नहीं करना निःसन्देह उसकी वादकरण में रूचि नहीं होना प्रकट करता है। प्रकरण प्रथम दृष्टया ही मयाद बाहर होकर खारिज योग्य है।

हालांकि अपील मयाद बाहर होने से ही खारिज योग्य है फिर भी हम न्यायहित में यह वर्णन करना उचित समझते हैं कि प्रकरण में वर्णित आराजी अपीलांट को कमाण्ड के तहत आवंटित की गई तथा आवंटी द्वारा प्रिमियम की राशि जमा नहीं कराने यानि आवंटन शर्तो की पालना नही करने का तथ्य स्पष्टतः प्रमाणित है, उपरोक्त तथ्यों के अलावा यह भूमि चूंकि सक्षम अधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा जरिये आदेश क्रमांक/राजस्व/सा.प्र.आ./12–6 (5) 104/661 दिनांक 21.04.2004 से सार्वजनिक चारागाह घोषित की जाने से इस आवंटन को निरंतर रखने की कोई औचित्यता नहीं है। अपीलांट द्वारा अपील हेतुक से संबंधित भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्तानुसार अपील अपीलांट बैरून मयाद होने से खारिज की जाती है।

(सी. आर. देवासी)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर